1536(E)
21/2/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 21/02/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत Long Term Output & Performance based Road Assets Maintenance Work for the roads under Package No. 30B/OPRMC-2/Jamui के निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. विषयांकित कार्य के निविदा से संबंधित मुख्य विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Long Term Output & Performance based Road Assets Maintenance Work for the roads Under Package No. 30B/OPRMC-2/Jamui
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले उपभाग का नाम	:	दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹7136.91870 लाख। विभागीय पत्रांक–8536(एस०) दिनांक 08.11.2018
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹7544.97717 लाख। मुख्य अभियंता, द0बि0उ0, प0नि0वि0 के पत्रांक–3184अनु0 दिनांक 10.11.2018
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹6817.18269 लाख।
2.6	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (Eithty-four) Months
2.7	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	04.01.2019

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित पाँच संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) Sudesh Kumar Singh & Co. Construction Pvt. Ltd.
(2) Khokhar Infrastructure Pvt. Ltd.
(3) Topline Infra Projects Pvt. Ltd.
(4) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd.
(5) Ashok & Co. Nivas Pvt. Ltd.

21.2.19

4. विभागीय ज्ञापांक–857(E) दिनांक–29.01.2019 द्वारा संसूचित निर्णय के विरूद्ध निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार Topline Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा परिवाद दिया गया है।

4.1 विषयांकित कार्य के तकनीकी बीड में परिवाद के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–511(अनु0) दिनांक–12.02.2019 एवं पत्रांक–528(अनु0) दिनांक–20.02.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की समीक्षोपरान्त अनुशंसा निम्नवत् है :–

5. **<u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की संशोधित अनुशंसाः</u>**

दिनांक–12.01.2019 को आयोजित तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11335 दिनांक–05.11.2018 द्वारा 01 साल के लिए निलंबित होने के कारण निविदा में असफल घोषित करने की अनुशंसा की गई थी। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक–857(E) दिनांक–29.01.2019 को विभागीय निविदा समिति द्वारा Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को असफल घोषित किया गया। इस निविदा में परिवाद प्राप्ति की तिथि 04.02.2019 तक थी। Topline Infra Projects Pvt. Ltd. के पत्रांक–शून्य दिनांक–04.02.2019 को परिवाद प्राप्त हुआ। परिवाद का सार निम्न है :–

भवन निर्माण विभाग के पत्रां भवन–11335(भ०) दिनांक–05.11.2018 के द्वारा हमारे प्रतिष्ठान के निबंधन को एक साल के लिए निलम्बित करने के आदेश के विरूद्ध हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद संख्या–22216/2018 में दिनांक–23.01.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आदेश पारित किया गया है।

पारित आदेश में भवन निर्माण विभाग के पत्रांक भवन–11335(भ०) दिनांक–05.11.2018 के द्वारा हमारे प्रतिष्ठान के निबंधन को एक साल के लिए निलंबित करने के आदेश को पूर्णतः खारिज कर दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय का इस संबंध में आदेश निम्नवत् है :–

In result, the impugned order dated 05.11.2018 issued by the respondent no.-3 as contained in Annexure-14 to the writ application is hereby set aside.

Topline Infra Projects Pvt. Ltd. के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया, जिसकी विवरणी ऊपर अंकित है। Topline Infra Projects Pvt. Ltd. निविदा की वांछित अर्हर्त्ता को पूरा करते हैं, किन्तु निविदा की अंतिम तिथि दिनांक–04.01.2019 को Topline Infra Projects Pvt. Ltd. भवन निर्माण विभाग के पत्रांक भवन–11335(भ०) दिनांक–05.11.2018 द्वारा निलम्बित थे तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निलंबन आदेश को Set aside करने का आदेश दिनांक–23.01.2019 को पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में Topline Infra Projects Pvt. Ltd. निविदा की अंतिम तिथि दिनांक–04.01.2019 को निविदा में भाग लेने हेतु योग्य (Eligible) नहीं थे।

अतः समिति Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को पुनः असफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।

21.2.19

6. विभागीय निविदा समिति का निर्णयः

6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या–582(अनु0) दिनांक–20.02.2019 द्वारा निविदा की तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की संशोधित अनुशंसा पर विभागीय निविदा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निविदाकार **Topline Infra Projects Pvt. Ltd.** के आवेदन/परिवाद को अमान्य करते हुए मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को विभागीय ज्ञापांक–857(ई0) दिनांक–29.01.2019 द्वारा संसूचित निर्णय के क्रम में विषयांकित कार्य के निविदा के वित्तीय बीड खोलकर शीघ्र विभागीय निविदा समिति के अनुमोदनार्थ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

6.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

(अजीत कुमार) मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(रजनीश कुमार) उप सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	21.2.19 (अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–03–71/2019 1536(ई) पटना, दिनांक 21/2/19

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/2/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।